


भारत सरकार / उ0प्र0 सरकार द्वारा लगायी जाने वाली दण्डात्मक एन.पी.वी. की धनराशि के भुगतान संबंधी वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि रेणुकूट वन प्रभाग के अनपरा / पिपरी रेंज के अन्तर्गत मेंसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (रेणुसागर पावर डिजिजन) को भारत सरकार के आदेश संख्या 8-10 / 94-एफ.सी. दिनांक 14.10.96 एवं उ0प्र0 राज्य सरकार के आदेश संख्या 6619 / 14-2 -97-145(233) / 94 दिनांक 22 मई, 1998 द्वारा रेणुसागर पावर प्लांट से हिण्डालको प्लांट, रेणुकूट तक वर्ष 1966 से 38.2591 हेक्टेयर वन भूमि पर निर्मित 132 के.वी. विद्युत पारेषण लाईन के पट्टे का 25 वर्षों के लिये (दिनांक 09.02.1991 से 08.02.2016 तक) उपरोक्त शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों के अधीन नवीनीकरण किया गया था। तीज पर दी गयी उपरोक्त 38.2591 हेक्टेयर वनभूमि को पुनः 25 वर्षों हेतु (दिनांक 09.02.1916 से 08.02.2041 तक) तीज पर लिये जाने की आवश्यकता है। तीज नवीनीकरण के ऑन लाईन प्रार्थना पत्र में कथित विलम्ब के संबंध में भारत सरकार / उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नियमानुसार दण्डात्मक एन.पी.वी. की जो भी धनराशि लगायी जायेगी उसका भुगतान करने हेतु हिण्डालको संस्थान वचनबद्ध है।

  
(रमंजी सिंह)  
भारतीय वनाधिकारी  
रेणुकूट वन प्रभाग, रेणुकूट

For Hindalco Industries Ltd.  
  
(Anand Kumar)  
A. Director (Bangalore)

**Hindalco Industries Limited**

P.O. Renukoot-231217, District: Sonbhadra, Uttar Pradesh, India

T: +91 5446 252077-79/254791-96 | Fax: +91 5446 252107/252427 | E: hindalco@adityabirla.com | W: www.hindalco.com  
Registered Office: Ahura Centre, 1st Floor, B Wing, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai-400 093

T: +91 22 6691 7000 | Fax: +91 22 6691 7001  
Corporate ID No: L27020MH1958PLC011238